न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या 94/2020 **RCMS 2020/00588**

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति खाती निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. किशनाराम पुत्र बिहारीलाल जाति माली निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
3. जगदीश पुत्र चूनाराम जाति माली निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शोभागसिंह जाति राजपूत निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. गुलाब देवी पत्नी मोहनराम जाट निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. भैरूलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति खाती निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. भागूराम पुत्र नुन्दाराम जाति जाट निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
5. उप पंजीयक कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री भीकमचन्द कुमावत अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रति. सं. 1 एव 2 की ओर से।
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रति. सं. 3 से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :—03/12/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:39:25 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1135/664 ... 0.3360 हैक्टर स्थित चली आ रही है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के हिस्से की भूमि मौके पर आपस में खरीद के दिन से ही बंटी हुई है व बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकार्ड में संयुक्त

खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, उक्त भूमि में वादी भंवरलाल का 5/42 वॉ हिस्सा, वादी किशनाराम का 5/42 वॉ हिस्सा, वादी जगदीश का 5/42 वॉ हिस्सा जरिये विक्रय पत्र खरीद सुदा आया हुआ है जिस पर वे बहैसियत मालिक काबिज चले आ रहे है, वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का काबिज अनुसार भू–विभाजन कराने के हकदार है, तथा भू–विभाजन कराकर सेपरेट होल्डिंग कायम करवाना चाहते है, उक्त भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु पटवारी हल्का को कहा तो उन्होने प्रतिवादीगण की सहमती चाही, प्रतिवादीगण इतने दिन तो आश्वासन देते रहे परन्तु अब उन्होने इंकार करने पर बिनाय दावा ग्राम राणासर में पैदा हुआ, वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1135/664 रकबा 0.3360 हैक्टर में स्थित वादी सं. 1 भंवरलाल का 5/42 वां हिस्सा अर्थात 0.04 हैक्टर, वादी सं. 2 किशनाराम का 5/42 वां हिस्सा अर्थात 0.04 हैक्टर, वादी सं. 3 जगदीश का 5/42 वां हिस्सा अर्थात 0.04 हैक्टर के खातेदार दर्ज चले आ रहे है, उक्त भूमि का मौके पर काबिज अनुसार भू–विभाजन कर सेपरेट होल्डिंग कायम की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 एवं 2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 3 एवं 4 ने इकबाली जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 5 एवं 6 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। " प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021" केम्प ग्राम पंचायत आनन्दपुरा में पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 4 उपस्थित आये जिन्होने लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:39:25 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। पक्षकारान ने मुताबित राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा चाहा है। मुताबिक राजीनामा पक्षकारान के जमांबदी में अंकित हिस्से अनुसार ही हिस्सा चाहा है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज चले आने एवं सेपरेट होल्डिंग कायम किये जाने की इस्तदुआ की है। पत्रावली

पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से साबित है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा काबिल डिक्री किये जाने योग्य होने से वाद वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 का स्वीकार करते हुए नजरी नक्शा अनुसार वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1135/664 रकबा 0.3360 हैक्टर में वादी सं. 1 भंवरलाल को 5/42, वादी सं. 2 किशनाराम को 5/42, वादी सं. 3 जगदीश को 5/42, एवं प्रतिवादी सं. 1 सुरेन्द्रसिंह को 5/28, प्रतिवादी सं. 2 गुलाबी देवी को 5/28, प्रतिवादी सं. 3 भैरूलाल को 5/21, प्रतिवादी सं. 4 भागूराम को 1/21 के राजीनामा दिनॉक 15.11.2021 एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तस्दीक सुदा राजीनामा दिनॉक 15.11.2021 एवं नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलादार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 03/12/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:39:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 94/2020 **RCMS 2020/00588**

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र नाथूराम जाति खाती निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. किशनाराम पुत्र बिहारीलाल जाति माली निवासी जिलिया तहसील कुचामनसिटी
3. जगदीश पुत्र चूनाराम जाति माली निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शोभागसिंह जाति राजपूत निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
2. गुलाब देवी पत्नी मोहनराम जाट निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. भैरूलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति खाती निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
4. भागूराम पुत्र नुन्दाराम जाति जाट निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी
5. उप पंजीयक कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा इस्तकरार हक व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री भीकमचन्द कुमावत अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रति. 1 एवं 2 की ओर से एवं श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रति. सं. 3 एवं 4 की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1135/664 रकबा 0.3360 हैक्टर में वादी सं. 1 भंवरलाल को 5/42, वादी सं. 2 किशनाराम को 5/42, वादी सं. 3 जगदीश को 5/42, एवं प्रतिवादी सं. 1 सुरेन्द्रसिंह को 5/28, प्रतिवादी सं. 2 गुलाबी देवी को 5/28, प्रतिवादी सं. 3 भैरूलाल को 5/21, प्रतिवादी सं. 4 भागूराम को 1/21 के राजीनामा दिनॉक 15.11.2021 एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तस्दीक सुदा राजीनामा दिनॉक 15.11.2021 एवं नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलादार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03 ....माह 12 .... सन् 2021 .... को जारी की गई।

दस्तखत ....
(ओहदा) उपखण्ड अधिकारी (मुहर)
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:39:25 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपयें	पैसे	म[illegible]	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			[illegible] अ[illegible]मा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible] वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]हन		
खर्चा गवाहन			फिस [illegible]श्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

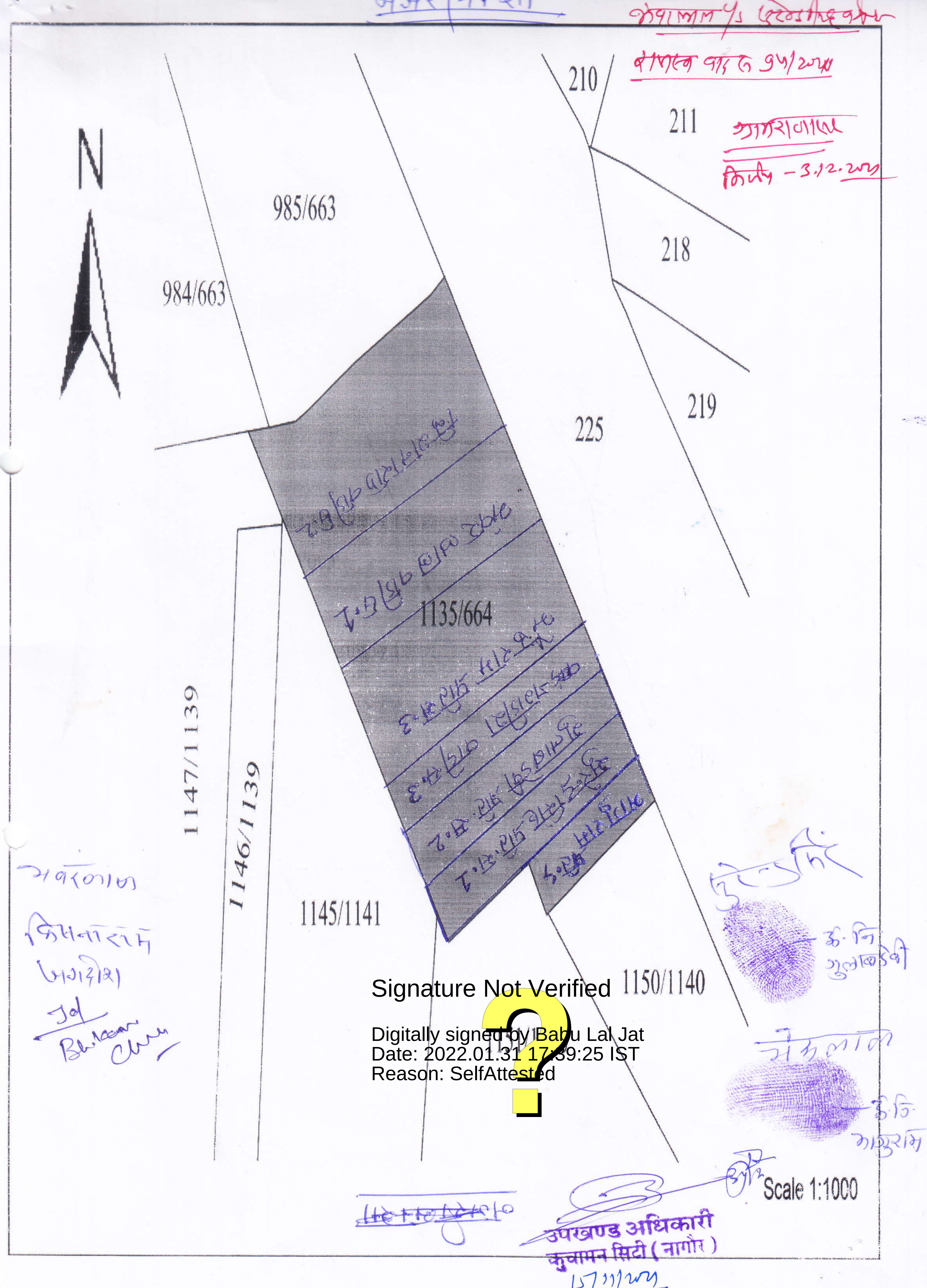

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:39:25 IST
Reason: SelfAttested